कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स, शॉप नम्बर-10, कलेक्टर गंज, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**053 / 14, 10.11.2014**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स, शॉप नम्बर-10, कलेक्टर गंज, कानपुर द्वारा दिनांक 10.11.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

यूज्ड रिफाइन्ड (मोबिल) ऑयल की रि-रिफाइनिंग से प्राप्त '' रि-रिफाइन्ड / बेस ऑयल '', जिसमें एडिटिव मिलाकर लुब्रीकेटिंग ऑयल बनाया जाता है, की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत किस दर से किस अनुसूची की किस प्रविष्टि के अन्तर्गत करदेयता है ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को दिनांक 04.02.2015 के लिए नोटिस भेजी गयी, निर्धारित तिथि पर प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 05.02.2015 को डाक द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रेषित करते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में किये गये कथनो तथा संलग्नकों पर विचारण करते हुए प्रश्नगत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र को गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-2184, दिनांक 08.01.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी वेजीटेबुल ऑयल एवं मस्टर्ड ऑयल की खरीद व बिक्री का व्यापार करते हैं। व्यापारी द्वारा अग्रेतर व्यर्थ-अनुपयोगी रिफाइण्ड ऑयल, यूज्ड मोबिल ऑयल को रि-रिफाइनिंग / प्रोसेसिंग से तैयार माल रि-रिफाइनिंग ऑयल जिसे बेस ऑयल कहा गया है का व्यापार किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त रि-रिफाइनिंग ऑयल (बेस ऑयल) पर कर की दर के विनिश्चय का अनुरोध किया है, जिसे प्रेषित आख्या में उचित नहीं माना गया है क्योंकि बेस ऑयल कोई वस्तु नहीं है। व्यापारी द्वारा उक्त बेस ऑयल को लुब्रीकेन्ट ऑयल नहीं माना गया है अपितु अपेक्षित एडिटिव मिलाकर अपेक्षित ग्रेड का लुब्रीकेन्ट ऑयल विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाया जाना माना गया है। सभी प्रकार के लुब्रीकेन्ट क्रम संख्या-15 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त शासन द्वारा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-42 / ग्यारह-9 (1) / 2008-यू0पी0ऐक्ट-5-2008-आर्डर-(108)-2014, दिनांक 10.01.2014, 2014 (Noti.S.No. 83 (VAT) जारी करते हुए सभी प्रकार के लुब्रीकेन्ट को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-IV में प्रख्यापित कर दिया गया है। साथ ही पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को वैटेबिल करयोग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरुद्ध बिक्री किये जाने की दशा में 5% की दर से करदेयता अवधारित की गयी है। साथ ही इससे पृथक स्थिति में

....2

21% की दर से करदेयता अवधारित की गयी है । मेरे विचार से व्यापारी द्वारा व्यर्थ-अनुप्रयोग रिफाइण्ड ऑयल, यूज्ड मोबिल ऑयल को रि-रिफाइनिंग / प्रोसेसिंग से तैयार माल को रि-रिफाइनिंग ऑयल को बेस ऑयल कहा गया है वह उचित नहीं है अपितु बेस ऑयल न होकर लुब्रीकेन्ट ऑयल है जिस पर 21% की दर से करदेयता है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या से सहमति प्रदान करते हुए यह कहा गया है कि व्यर्थ अनुपयुक्त मोबिल ऑयल को रि-रिफाइनिंग / प्रोसेसिंग से तैयार माल पेट्रोलियम लुब्रीकेटिंग ऑयल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-IV की प्रविष्टि संख्या-15 (b) के अन्तर्गत सभी प्रकार के लुब्रीकेन्ट्स की श्रेणी में होने के कारण नान वेटेबुल गुड्स की भाँति निर्माता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर 21% की दर से करयोग्य होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया । प्रार्थी द्वारा यूज्ड लूब्रीकेटिंग ऑयल की रि-रिफाइनिंग प्रक्रिया के सम्बन्ध में विवरण दिया गया है । इस विवरण में यह अंकित है कि रि-रिफाइण्ड यूज्ड ऑयल में लूब्रीकेन्ट के सभी गुण होते हैं । एडिटिव का प्रयोग केवल उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए होता है । यह विवरण निम्न भाँति है :-

Pure mineral oil has good lubricating properties, but it is the additives in the oil that give it its characteristics and enhance its lubricating properties to enable it to meet modern requirements.

इस प्रकार पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत बिन्दु में यूज्ड मोबिल ऑयल की रि-रिफाइनिंग की जाती है । इस प्रक्रिया में जो माल तैयार होता है वह पेट्रोलियम लुब्रीकेन्ट ऑयल की भाँति होता है । शासन की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-42 / 11....., दिनांक 10.01.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-IV की प्रविष्टि संख्या-15 (b) पर '' सभी प्रकार के लुब्रीकेटिंग ऑयल '' की प्रविष्टि अंकित की गयी है तथा निर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर वर्तमान में 21% की दर से करयोग्य है ।

उपरोक्त विश्लेषण के क्रम में समग्र तथ्यों के आलोक में पाया गया कि प्रश्नगत वस्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-IV की प्रविष्टि संख्या-15 (b) के अन्तर्गत सभी प्रकार के लुब्रीकेन्ट्स की श्रेणी में होने के कारण नान वेटेबुल गुड्स की भाँति निर्माता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर 21% की दर से करयोग्य होगी ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाय ।

दिनांक 10 मार्च, 2015

ह0 / 10.03.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।